कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ,

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–आर–6 (23)07 / अनुराधा / दिनांक :–

आदेश

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्रांक प 2 (393)राज / ग्रुप–3 / 07 जयपुर दिनांक 20.8.07 के द्वारा अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति ऑफिसर्स एन्क्लेव, सचिवालय विहार, कल्याणपुरा,सांगानेर जयपुर को ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाई वाला तहसील सागांनेर के खसरा नम्बर 1 रकबा 23.24 हैक्टयर किस्म चरागाह में से 1 हैक्टयर भूमि राजस्थान भू –राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय (बीएड कालज)हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृती प्रदान की गई। जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमाक 10933 दिनांक 12.9.07 के द्वारा आदेश में अंकित शर्त सख्या 1 से 15 की पालना की शर्त पर उक्त भूमि आवंटन के आदेश जारी किये गये। इस आदेश की अनुपालना में एक पट्टा विलेख 99 वर्ष की लीज हेतु अंकित शर्तो पर दिनांक 2.1.2008 को प्रथम पक्ष जिला कलक्टर जयपुर एवं दूसरे पक्ष में सचिव, अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति श्री महीपाल गिरी के मध्य निष्पादित हुआ जिसका पंजियन उप पंजियक सांगानेर प्रथम के पास दिनांक 11.1.2008 को करवाया गया।

इस प्रकरण में संस्था के आवेदन पर राज्य सरकार के स्तर पर विचार कर राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्रांक प 2 (393)राज–3 / 07 जयपुर दिनांक 5.1.15 के द्वारा पूर्व में दी गई आवंटन स्वीकृती में आंशिक संशोधन कर उक्त आवंटित कुल 10000 वर्गमीटर भूमि में से 4000 वर्गमीटर भूमि अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति को शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय (बीएड कालेज) हेतु निःशुल्क एवं शेष बची 6000 वर्गमीटर भूमि अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति को स्कूल, डिग्री कालेज एवं अन्य शैक्षणिक कोर्स सह–शिक्षा (महिला / पुरूष) हेतु कीमतन आंवटन किये जाने की राजकीय स्वीकृती प्रदान की गई।

उक्त आदेश की अनुपालना में इस कार्यालय से जारी संम संख्यक मांग पत्रांक 1977 दिनांक 30.3.15 के अनुसार 6000 वर्गमीटर भूमि के लिए कीमत 64,04,985 / –अक्षरे चौसठ लाख चार हजार नो सो पिच्यासी रूपये मद 0029 में तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट 319 / सी के अनुसार चालान नम्बर 30 दिनांक 27.4.15 के द्वारा जमा राजकोष करवाये गये।

अतः प्रकरण में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 12.9.07 में अंकित शर्तो में नवीन स्थिति के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1–राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृती के अनुसरण में आवंटित कुल 10000 वर्गमीटर भूमि में से 4000 वर्गमीटर भूमि अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति को शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय (बीएड कालेज) हेतु निःशुल्क एवं शेष बची 6000 वर्गमीटर भूमि अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति को स्कूल, डिग्री कालेज एवं अन्य शैक्षणिक कोर्स सह–शिक्षा (महिला / पुरूष) हेतु कीमतन आंवटन किये जाने की राजकीय स्वीकृती प्रदान की गई तदानुसार ही यह संशोधित आवंटन आदेश किया गया है।

2–इस आदेश के संलग्न नक्शा ट्रेस में निःशुल्क भूमि 4000 वर्गमीटर का आवंटन भू भाग नक्शे में हरे रंग से भूमि के अग्रभाग पर बताया गया है जबकी पीले रंग का भू–भाग 6000 वर्गमीटर कीमतन भूमि को पीछे के भाग में बताया गया है।उक्तानुसार आवंटित कुल क्षेत्रफल रका 10000 वर्गमीटर की तरमीम राजस्व रेकार्ड में हो चुकी है जिसको खसरा नम्बर 579 / 1 रकबा 1 हैक्टयर है।

0141-2209001]2209002(O)0141-2209000(Fax) Email.dm-jaip-rj@nic.in
J.B.15

3–कीमतन आवंटित मौके पर खाली भूमि पर संस्था को दो वर्ष की कालावधि में आवंटन स्वीकृती के अनुसार उद्देश्य अनुसार गतिविधियों के लिए भवन निर्माण पूर्ण कर, चालू करना होगा। इस भू भाग पर आवागमन के लिए जाने वाले रास्ते को नक्शा ट्रेस में नीले रगं से दर्शाया गया है। जो कीमतन आवंटिन भूमि पर पर्याप्त चौडाई में हमेशा खुला रखा जावेगा जो निःशुल्क भूमि आवंटन के भू भाग पर होगा। इस भू भाग पर कभी कोई निमार्ण नहीं किया जा सकेगा।

4–इस भूमि का उपयोग उक्त बिन्दु संख्या 1 की स्वीकृती के अनुसार ही किया जा सकेगा। अन्यथा भूमि पुनःस्वत ही राज्य सरकार के कब्जे में आ जावेगी।

5–इस भूमि का आवंटन 99 वर्षीय लीज पर किया गया है जिसके समय की गणना पूर्व आवंटन आदेश दिनांक 12.9.2007 से की जावेगी। 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हुआ तो पट्टा अवधि का आगे 30 वर्षो की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

6–राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना आवंटित भूमि का हस्तान्तरण /विक्रय/ दान/उप पट्टे /किराये आदि पर किसी अन्य को नहीं किया जा सकेगा। आवंटन प्राधिकारीं अन्तरण अनुज्ञात करते समय अन्तरिती से उक्त नियमों के नियम 3 (ा) में यथाविहित नया प्रीमीयम प्रभारित करेगा। संस्था के अन्य किसी संस्था में विलय होने/ विघटन होने की स्थिति में अथवा संस्था ने जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित करवाई है उन उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने अथवा बन्द हो जाने की स्थिति में मौजूदा चल /अचल सम्पत्तियों सहित भूमि स्वतः ही राज्य सरकार के कब्जे में आ जावेगी।

7–इस आवंटित भूमि का संशोधित पट्टा विलेख एक माह में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पर प्रस्तुत कर निष्पादित करवाना होगा जो पूर्व में जारी पट्टा विलेख के साथ जुज रखा जा कर पंजियन करवाना आवश्यक होगा।

8–भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिए ही किया जावेगा जिस प्रयोजन के लिए उसे आवंटित किया गया है और उस भवन का संर्निमाण जिसके लिए अब भूमि 6000 वर्गमीटर का कीमतन आवंटन किया गया है आदेश जारी होने के छःमाह के भीतर–2 प्रारम्भ कर दिया जावेगा तथा दो वर्ष के भीतर–2 उक्त भूमि पर भवन विनियमों के अनुरूप भवन का सन्निर्माण पूर्ण करने के लिए और इसे उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने के लिए उत्तरदायी होगा। जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है।

9–आवंटित भूमि का उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृत गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा एवं किसी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृती नहीं दी जावेगी और न ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक एवं लाभ कमाने की दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकेगा।

10–आवंटित भूमि पर संचालित संस्था को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण/फीस आदि के निर्देशों की पालना करनी होगी।

11–राजहित व विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार/स्थनीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थाई रूप से प्रयोग में ले सकेंगें जिसके लिए कोई किराया /मुआवजा देय नहीं होगा।

12–भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।

13–आवंटित भूमि पर सन्निर्मित भवन या प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए किया जावेगा और दुराशय से उसका दुर्भावनापूण हस्तान्तरण आवंटिती के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जाएगा।

14–आवंटिती संस्थान सक्षम अधिकारियों को सीधे वे तमाम साधारण/विशेष और स्थानीय कर/दर/अपवाद/लागत अदा करेगी जो उक्त आवंटित भूमि या उसके किसी भाग के संबध में या उस पर बनाये गये किसी भवन या भवनों, बाह्य गृहों के संबंध में या उस समय आयद किये या लगाये गये हो और काबिल अदा हो।

15–आवंटिती संस्था उपर वर्णित शर्तो में से प्रत्येक का पालन करने के लिए लिखित में वचनबद्व होगी तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना एवं कर इत्यादि का भुगतान करना होगा।

16–उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में भूमि तथा उस पर निर्मित भवन निर्माण कार्य सहित, बिना किसी क्षतिपूर्ति के दावे, वापस सरकार में निहित हो जावेगी।

(कृष्ण कुणाल)
जिला कलक्टर
जयपुर।

क्रमांकः–आर–6 (23)07/अनुराधा/6471-80 दिनांक :– 25-8-15

प्रतिलिपिः–निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–सयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप–3 विभाग को उनके पत्रांक प 2 (393) राज/ ग्रुप–3 /2007 जयपुर दिनांक 5.1.15 की पालना मे सूचनार्थ प्रेषित है।
2–निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
3–प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा कलेक्ट्रेट जयपुर।
4–जिला जन सम्पर्क अधिकारी जयपुर।
5–उपखण्ड अधिकारी द्वितीय।
6–तहसीलदार सांगानेर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरण में संशोधित लीज पंजीयन के बाद लीज का अमल राजस्व रिकार्ड में किया जावें।
7–विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर ।
8–सचिव अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति, ऑफिसर्स एन्क्लेव, सचिवालय विहार, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर ।
9–सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा, पंचायत समिति, सांगानेर
10–आदेश गार्ड पत्रावली।

(राजीव जैन)
अति0कलक्टर –प्रथम,
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा,
जयपुर